प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.09.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की 01 टिक्की व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में हुई महिलाओं के साथ स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण में स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 27.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वसुन्धरा सेक्टर 2 ए पर चैंकिंग की जा रही थी तभी हिंडन पुल की तरफ से आ रही बिना नम्बर प्लेट की एक मोटर साइकिल पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार युवक नही रुका तथा मोटर साइकिल पर सवार युवक ने मोटर साइकिल सैक्टर 2 ए ग्राउन्ड की तरफ मोड़ दी, आगे रास्ता न होने के कारण मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल का सन्तुलन बिगड़ गया और मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी। मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल पर सवार युवक ने अंटी से तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे युवक पर जवाबी फायर किया गया। जिससे गोली चलाने वाले बदमाश यामीन पुत्र मोबीन उर्फ मोमीन निवासी जनता मजदूर कॉलोना थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष के पैर में गोली लग गयी। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया, जिसे पुलिस द्वारा वसुन्धरा सेक्टर 2ए ग्राउन्ड से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की टिक्की व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर कुछ दिन पहले प्रहलाद गढ़ी इंदिरापुरम से एक महिला से चेन स्नैचिंग की थी और कुछ दिन पूर्व थाना साहिबाबाद क्षेत्र में भी चेन स्नैचिंग की थी। उसी चेन को पिघलाकर टिक्की बना ली थी। अभियुक्त उपरोक्त से जो चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है, उसको अभियुक उपरोक्त ने कुछ दिन पहले थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से चोरी किया था। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में राह चलते लोगों से मोबाइल व चैन लूटकर दिल्ली में सस्ते दामों में बेच देता है। आज भी अभियुक्त चेन स्नैचिंग की फिराक में आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

यामीन पुत्र मोबीन उर्फ मोमीन निवासी जनता मजदूर कॉलोना थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की 01 टिक्की व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त यामीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी व स्नैचिंग के 02 अभियोग तथा थाना साहिबाबाद पर लूट व स्नैचिंग से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 27.09.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र निवासी सरकारी स्कूल के सामने वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिये 01 अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त की जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।

उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.09.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुए आदेश की एक प्रति अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त को दी गयी तथा अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त की ढोल नगाडों की मुनादी कराते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 27.09.2025 को 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना लिंकरोड पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सत्यभान पुत्र महेन्द्र निवासी सरकारी स्कूल के सामने वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी, चोरी का माल बरामद होने व मारपीट करने से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत मोक्षधाम मन्दिर बन्थला व बन्थला फ्लाई ओवर के नीचे टैम्पो स्टैण्ड पर महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया ।

आज दिनांकः 28.09.2025 को थाना लोनी पुलिस एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत मोक्षधाम मन्दिर बन्थला व बन्थला फ्लाई ओवर के नीचे टैम्पो स्टैण्ड पर 100 महिलाओं / बालिकाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति–5.0' का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं जागरूकता अभियान प्रचलित किए जा रहे हैं जिसके क्रम में आज दिनांक 28.09.2025 को एन्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम थाना लोनी द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अन्तर्गत 100 महिलाओं / बालिकाओं को महिला सुरक्षा / सशक्तीकरण के सम्बन्ध में फेस- 5 के बारे में जानकारी देकर जागरूक करते हुए जिसमें लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा व विभिन्न हेल्पलाइन-1090, 181, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरुकता हेतु पम्पलेट वितरण किये गये।

प्रचार प्रसार करने वाली पुलिस टीम-

एण्टी रोमियो स्क्वाड थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध आतिशबाजी पटाखे सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 प्लास्टिक के कट्टे(पटाखे बनाने का सामान) व 01 गत्ता अवैध आतिशबाजी पटाखे से भरा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 27.09.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध आतिशबाजी पटाखे सहित 02 अभियुक्त 1. आशीष पुत्र चन्द्रपाल निवासी फर्रूखनगर मार्केट थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व 2. अनिकेत शर्मा पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा निवासी तिरंगा कॉलोनी थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को हिंडन पुल से ग्रीनशाइन कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते से 02 प्लास्टिक के कट्टे(पटाखे बनाने का सामान) व 01 गत्ता अवैध आतिशबाजी पटाखे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आशीष पुत्र चन्द्रपाल व अनिकेत शर्मा पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आशीष पुत्र चन्द्रपाल व अनिकेत शर्मा पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त से बरामद अवैध आतिशबाजी पटाखों व कच्चे माल को आगामी त्यौहार के दृष्टिगत आर्थिक लाभ कमाने के लिये बेचन हेतु ले जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशीष पुत्र चन्द्रपाल निवासी फर्रूखनगर मार्केट थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
अनिकेत शर्मा पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा निवासी तिरंगा कॉलोनी थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

02 प्लास्टिक के कट्टे(पटाखे बनाने का सामान) व 01 गत्ता अवैध आतिशबाजी पटाखे से भरा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आशीष पुत्र चन्द्रपाल व अनिकेत शर्मा पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीला मोड़ पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी करी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा माह सितम्बर 2025 में की गई कार्यवाही का विवरण

साइबर अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं विशेषकर पोस्ट कोविड फेस में, को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनवरी 2024 में प्रदेश के प्रत्येक जिले में थाना साइबर क्राइम की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद में साइबर थाना और साइबर हेल्पडेस्क को और अधिक मजबूत, व्यवस्थित और प्रशिक्षित बनाया गया है। वर्तमान में कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने का प्रत्येक पुलिस कर्मी एवं साइबर हेल्प डेस्क में तैनात प्रत्येक पुलिस कर्मी को साइबर अपराध के नियंत्रण हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके

अतिरिक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के प्रत्येक थाना प्रभारी एवं थाने पर नियुक्त अतिरिक्त निरीक्षकों को भी साइबर अपराध के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

माह सितम्बर 2025 में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 24 अपराध

अपराध की श्रेणी	**पंजीकृत अभियोगों की संख्या**	**फ्रॉड की धनराशि (रुपयों में)**
टेलीग्राम टास्क	04	1,01,88,827
शेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेन्ट	10	3,46,88,683
क्रिप्टो करेन्सी फ्रॉड	01	-
डिजिटल अरेस्ट	02	1,43,80,921
फोन हैक कर फ्रॉड	03	22,38,028
अन्य	04	18,48,095
योग	**24**	**6,33,44,554**

साइबर फ्रॉड की घटनाओं के सापेक्ष इस अवधि में कुल 3,84,22,846/- रूपये की धनराशि को फ्रीज कराया गया, जिसमें से 2,03,02,429/- रुपये की धनराशि को वादी/पीड़ितों को रिफण्ड कराया गया है। इस प्रकार कुल फ्रॉड धनराशि के सापेक्ष 32 प्रतिशत धनराशि को रिफण्ड कराया गया है।

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्थापना से लेकर अब तक 1,405,079,942/- रुपये के साइबर अपराध के कुल 577 अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें 33,72,19,186/- रुपये रिफण्ड कराया जा चुका है। इस प्रकार कुल फ्रॉड धनराशि के सापेक्ष 24 प्रतिशत धनराशि पीड़ितों को रिफण्ड कराया गया है।

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्थापना के पूर्व साइबर अपराधों में फ्रॉड धनराशि के सापेक्ष रिफण्ड का प्रतिशत 1.5 प्रतिशत था।

इस अवधि में कुल 28 साइबर अपराध में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुध्द विधिक कार्यवाही की गई। इस दौरान साइबर अपराध के विरुध्द की गई कार्यवाही में निम्नलिखित घटनाओं का अनावरण किया गया। विवरण इस प्रकार है :-

- शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर इन्दिरापुरम गाजियाबाद निवासी श्री शशी रंजन कुमार, श्री अंकित रस्तोगी एवं सिहानी गेट गाजियाबाद निवासी श्री प्रशांत सक्सेना के साथ साइबर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्तों शिवा जायसवाल, आशीष कन्नौजिया एवं तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी कर इन घटनाओं के अतिरिक्त 19 राज्यों में 136 साइबर अपराध की घटनायें जिसमें 77 करोड़ रूपये से अधिक के फ्रॉड का भी अनावरण किया गया है।
- दिनांक 17.09. को 2025फर्जी दस्तावेज व कूटरचित गैस एजेन्सी के कागजात कर गैस एजेन्सी व नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर फ्राड करने वाले कॉल सेन्टर के नफर अभियु 04क्तों1 . रविन्द्र कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी म2 हसौना जगमोहनपुर थाना गांगीरी जनपद अलीगढ़ ग्रा0 144 0नं0. शुभम सिंह चौहान पुत्र राजकुमार सिंह निवासी सिकन्दर कम्पू, हरगोविन्द का खेत गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 3. हेमेन्द्र पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्रा4 मोहनपुरा थाना काशीरामनगर जनपद कांसगज 0. राहुल यादव पुत्र जुगल किशोर निवासी धामा डेयरी के पास अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को जेल भेजा गया, जिनके पास से अदद मोबाइल फोन 11, अदद चेकबुक 06, अदद एम पासबुक प्रपत्र 01, अदद एटीएम कार्ड व 08

एक अदद पेन ड्राइव मय सील सर्वे मोहर मयनमूना मोहर व अदद कार रजि0नं0 01DL4CAU 8717 मॉडल होण्डाAMAZE, चेसिस नं 0MAKDF151GGN202257, इंजन नं 0L12B35114069 बरामद की गयी।

- थाना साइबर क्राइम व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्रोसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे कॉल सेन्टर को पकडा गया है, जिनके द्वारा यू०एस०ए० के नागरिको को हेल्थ इंश्योरेन्स व फ्री मेडिकल चेकअप के नाम पर फ्रॉड की घटनायें की जा रही थी। उक्त प्रकरण में कुल 15 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी, जिनके पास से 25 कम्प्यूटर, वी0सी0 डायलर, ठगी के लिये तैयार की गयी स्क्रिप्ट आदि बरामद हुआ है।
- शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर इन्दिरापुरम, गाजियाबाद निवासी श्रीमती अर्चना कुमारी एवं श्री सरताज सिंह के साथ साइबर फ्रॉड की घटना हुई। थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोगों में क्रमश: 13 लाख व 4.96 लाख रुपये रिकवर कराते हुए इन दोनों साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त दीपक कुमार ठाकुर पुत्र रघुनाथ ठाकुर निवासी म0नं0 54, 04 फ्लोर, गली नं0 03 , शकरपुर , दिल्ली मूल पता ग्राम बैका पोस्ट बैकाबेशनपुर थाना फूलपरास जिला मधूबनी बिहार को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर इन घटनाओं के अतिरिक्त इनके द्वारा 14 राज्यों में की गई 40 साइबर अपराध की घटनाओं जिसमें 6.5 करोड रूपयों से अधिक का फ्रॉड हुआ है, का भी अनावरण किया गया है।
- थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा NCRP पोर्टल पर उपलब्ध साइबर अपराध से सम्बन्धित आकड़ों से ज्ञात जनपद गाजियाबाद के कोटक महिन्द्रा बैंक के क्रमश: 347 बैंक खातों, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड के द्वारा धनराशि प्राप्त करने में प्रयोग किये गये 31 बैंक खातों के खाताधारकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्रिन्स शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी ग्राम कमरुद्दीन नगर पोस्ट समाना थाना कपूरपुर जिला हापुड़ तथा आशीष राणा पुत्र स्व0 नेपाल सिंह निवासी ग्राम मतनावली थाना कपूरपुर जिला हापुड़ को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में पंजीकृत साइबर फ्रॉड की 15 शिकायतों का अनावरण किया गया।
- यू ट्यूब चैनल पर अश्लील सामग्री अपलोड करने के सम्बन्ध में अभियुक्त हकीकत अली को गिरफ्तार किया गया।
- जी०डी०ए० के अधिकारियों को फर्जी आई0डी0 से मेल भेजकर मिथ्या आरोप लगाकर धमकी देने, और अवैध वसूली का प्रयास करने के सम्बन्ध में अभियुक्त विवेक त्यागी को गिरफ्तार किया गया।

<u>साइबर अपराध के विरुध्द कार्यवाही -</u>

- थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद में साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर प्रत्येक प्रकरण को एन०सी०आर०पी० पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाता है। अभियुक्त के सम्बन्धित बैंक खातों को फ्रीज कराया जाता है। तत्पश्चात अभियोग पंजीकृत कर एवं वादी तथा मा0 न्यायालय से समन्वय स्थापित कर रिफण्ड की कार्यवाही की जाती है।
- थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद में प्रत्येक प्रकरण में विवेचना व घटनाओं के अनावरण हेतु 15 निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें गठित की गयी हैं, तत्परता से साइबर अपराध के विरुध्द कार्यवाही की जा रही है।

- साइबर क्राइम की घटनाओं में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर व आई0एम0ई0आई0 को ब्लॉक कराने की कार्यवाही की जाती है।
- थाना साइबर क्राइम द्वारा अब तक 12,500 से अधिक मोबाइल नम्बरों को ब्लॉक कराये जाने हेतु DoT से पत्राचार किया जा चुका है।
- थाना साइबर क्राइम द्वारा अब तक 171 फर्जी इन्वेस्टमेन्ट फ्रॉड से सम्बन्धित मोबाइल एप्लीकेशन एवं 21 वेबसाइट के विरुध्द कार्यवाही की गई है।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त दो अभियुक्त गिरफ्तार, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, 4,13,006/- रुपये बरामद, साथ ही 21 राज्यों की 158 घटनाओं में कुल 87,43,818/- रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा।

श्री भरत टुटेजा निवासी पुरानी पंचवटी गाजियाबाद के साथ टेलीग्राम टास्क कम्प्लीट कर मुनाफा कमाने के नाम पर 6,88,000/-रुपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में **4,13,006/- रुपये बरामद** करते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले सदस्य अभियुक्त 1. रामआशीष पुत्र लालजी निवासी म0नं0 जे-332, जे ब्लॉक एन एस मण्डी जहांगीरपुरी, नॉर्थवेस्ट दिल्ली 2. अमरदीप पुत्र अम्बेद निवासी म0 नं0 559 झुग्गी के ब्लॉक एमआईजी प्लैट डीडीए जहांगीरपुरी थाना जहांगीपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- रामआशीष ने पूछने पर बताया कि करीब दो वर्ष पहले वह एक एन0जी0ओ0 आजाद फाउन्डेशन के लिए महिलाओं को जॉब के लिये प्रोत्साहित करता था। रामआशीष की जॉब छूट जाने पर वह अमर दीप जो कि साइबर फ्रॉड के लिये खातों का काम करता था, से मिला। अमरदीप के साथ मिलकर उसने साइबर फ्रॉड के लिये एसबीआई बैंक में फर्म टेक प्लाजा इन्टरप्राईजेज के नाम से 25,000/- रू0 लेकर खुलवा दिया था। अमरदीप ने स्वयं के बैंक खातों व रामआशीष के बैंक खातों के क्रेडेन्शियल अजय पासवान निवासी गली नं0 02 जनता बिहार बुराडी दिल्ली को गुरूग्राम सेक्टर 22 हरियाणा पुलिस को दिये थे। अजय पासवान की तलाश की जा रही है।

अभियुक्तों से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके गैंग के द्वारा 21 राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल , हरियाणा, गुजरात, झारखंड, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पाण्डीचेरी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़ के लोगों के साथ कुल 158 घटनाओं में कुल **87,43,818/-** रुपये की साइबर ठगी की घटनायें कारित की गई हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामआशीष पुत्र लालजी निवासी जे 332, जे ब्लॉक, जहाँगीरपुरी , नार्थ वेस्ट दिल्ली उम्र 23 वर्ष, ।
2. अमर दीप पुत्र अम्बेद निवासी म0नं0 559 झुग्गी के ब्लॉक एमआईजी फ्लैट डीडीए जहाँगीरपुरी थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष,।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी खान बहादुर खां पुत्र मौहम्मद शेर खान निवासी मौहल्ला मौहम्मद गंज तहसील व जिला बदायूँ उ०प्र० द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी करके वादी का प्लाट विक्रय कराने का सौदा तय करके 01 लाख रूपये दे देना तथा बैनामा कराने व मूल दस्तावेज में कमी बताकर मूल दस्तावेज लेकर वापस ना देना तथा चेतनाम उपरोक्त द्वारा फर्जी मुख्तारनामा कराकर अपने पुत्र को दान के रूप दे देना व वादी के प्लाट का ताला तोडकर कब्जा कर लेना व वादी व उसके पुत्र के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 318(4)/316(2)/336(3)/338/ 340(2)/115(2)/352/351(3)/329(3) बीएनएस बनाम मनोज आदि व 05 अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त मनोज पुत्र प्रहलाद निवासी ई 1843 रामपार्क एक्सटेन्शन, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त मनोज पुत्र प्रहलाद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर खान बहादुर खां पुत्र मौहम्मद के साथ धोखाधड़ी की गयी थी, मेरे द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके खान बहादुर खां के प्लाट पर कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मनोज पुत्र प्रहलाद निवासी ई 1843 रामपार्क एक्सटेन्शन, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त मनोज उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टप्पेबाजी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, टप्पेबाजी की घटना से सम्बन्धित 4,900/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 27.09.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादिया की लिखित तहरीर दी और बताया कि चार व्यक्ति 1. सुहैल पुत्र राशिद, 2. बिलाल पुत्र जकी मोहम्मद, 3. फरदीन पुत्र सिफारिस व 4. अरमान पुत्र छुटवा के द्वारा सोने का सिक्का कम दाम पर बेचने के एवज में वादिया के साथ 20,000/-रुपये की टप्पेबाजी की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 316(2)/318(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 28.09.2025 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. बिलाल उर्फ हारून पुत्र जकी मोहम्मद निवासी दफ्तर वाली गली हाजी अनवर के मकान में किराय पर इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सहसबान थाना सहसबान जिला बदायूँ उम्र करीब 22 वर्ष व 2. सोहिल पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी बीकानेर स्वीट जामुन बाला पार्क के पास मालवीय नगर हैदरानी थाना मालवीय नगर मैहरोली दिल्ली मूल निवासी ग्राम भवानीपुर थाना सहसबान जिला बदायूँ उम्र करीब 19 वर्ष को सिकन्दरपुर चौकी

के पीछे से 02 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, टप्पेबाजी की घटना से सम्बन्धित 4,900/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 316(2), 318(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य दो साथियों के साथ दिनांक 27.09.2025 को अर्टिगा कार से एक महिला(वादिया) से सोने का सिक्का देने को कहकर 20,000/- रूपये की टप्पेबाजी की थी । टप्पेबाजी किये हुये रुपयों को चारों अभियुक्तों ने आपस में बाँट लिया । जिसमें से बरामद 4,900/- रूपये दोनों अभियुक्तों से बरामद हुये हैं बाकी पैसे फरदीन और अरमान के पास है । बरामद दोनों तमंचों के बारे में बताया कि यह हम लोगों ने राह चलते व्यक्ति से खरीद लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. बिलाल उर्फ हारून पुत्र जकी मोहम्मद निवासी दफ्तर वाली गली हाजी अनवर के मकान में किराय पर इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सहसबान थाना सहसबान जिला बदायूँ उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. सोहिल पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी बीकानेर स्वीट जामुन बाला पार्क के पास मालवीय नगर हैदरानी थाना मालवीय नगर मैहरोली दिल्ली मूल निवासी ग्राम भवानीपुर थाना सहसबान जिला बदायूँ उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, टप्पेबाजी की घटना से सम्बन्धित 4,900/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर टप्पेबाजी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जनता के सहयोग से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 01 काले बैग से 02 कलाई की घड़ी, पीली धातु की 01 चैन, सफेद धातु की 01 अंगूठी व छल्ला, 02 पर्स, 01 मोबाइल फोन, 7,00/- रुपये व 02 ताला तोड़ने की सरिया बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 27.09.2025 को अमन महेश्वरी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सै0 3एफ वैशाली म0न0 998 प्रथम तल का ताला तोड़कर 02 व्यक्तियों सामान चोरी करके निकल रहे थे । जिन्हे जनता के व्यक्तियों की मदद से पकड़ लिया । प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1.चरन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह निवासी ग्राम खेडा थाना पिलखुआ जिला हापुड उम्र करीब 30 वर्ष व 2. सिराजुद्दीन पुत्र मो0 नसीरूद्दीन निवासी इन्द्रगढी डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को चोरी किये गये 01 काले बैग से 02 कलाई की घड़ी, पीली धातु की 01 चैन, सफेद धातु की 01 अंगूठी व छल्ला, 02 पर्स, 01 मोबाइल फोन, 7,00/- रुपये व

02 ताला तोड़ने की सरिया सहित गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 305,331(3),317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त मिलकर गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लोगों के घरों में से सामान चोरी करते है और उन्हें बेचकर लाभ अर्जित करते हैं। इसीक्रम में आज दोनों अभियुक्त वैशाली में शाम को सै0 3 एफ म0न0 998 में चोरी करने आये थे कि लोगों ने घर से चोरी का सामान ले जाते समय पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. चरन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह निवासी ग्राम खेडा थाना पिलखुआ जिला हापुड उम्र करीब 30 वर्ष।
2. सिराजुद्दीन पुत्र मो0 नसीरूद्दीन निवासी इन्द्रगढी डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी किये गये 01 काले बैग से 02 कलाई की घड़ी, पीली धातु की 01 चैन, सफेद धातु की 01 अंगूठी व छल्ला, 02 पर्स, 01 मोबाइल फोन, 7,00/- रुपये व 02 ताला तोड़ने की सरिया बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त चरन पुत्र शीशपाल उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद व हापुड़ में चोरी, चोरी का माल बरामद होने, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट आदि के सम्बन्ध में 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सिराजुद्दीन पुत्र नसीरूद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद में चोरी, चोरी का माल बरामद होने, गैगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के सम्बन्ध में 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

महिला उप-निरीक्षक द्वारा गायन के माध्यम से भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने और 'मिशन शक्ति' अभियान के उद्देश्यों के प्रति जनता को जागरूक किया गया।

'मिशन शक्ति' उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। इसके 5वें चरण में, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गाजियाबाद पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम मे श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.09.2025 को ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में मिशन_शक्ति_अभियान_5.0 के अन्तर्गत थाना अंकुर विहार क्षेत्र में मां दुर्गा के पंडाल में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम मे म0उ0नि0 काजल गोस्वामी, पिंक बूथ प्रभारी डीएलएफ थाना अंकुर विहार द्वारा भजनों और लोक गीतों के माध्यम से भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। गायन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भ्रूण हत्या न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक रूप से भी समाज के लिए हानिकारक है।

यह अभियान न केवल भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।